पंचायत समिति लम्बागाँव विकास खण्ड लम्बागाँव जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.15 से 31.03.18

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति लम्बागाँव, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/खण्ड विकास अधिकारी **कार्यरत थे :-**

अध्यक्ष :-

क्र0 सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति पवना कुमारी	01.04.15 से 22.01.16
2	श्रीमति वीना जम्बाल	23.01.16 से लगातार

खण्ड विकास अधिकारी :-

क्र0 सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति शीपाली शर्मा	01.04.15 से 05.09.16
2	श्री नवीन कुमार शर्मा	06.09.16 से 26.02.18
3	श्री उत्तम चन्द	27.02.18 से 25.03.18
4	श्री सुरेश चन्देल	26.03.18 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

पंचायत समिति लम्बागाँव, विकास खण्ड लम्बागाँव के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.1 8 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण भारी अन्तर	23.48
2	6	ब्यास पतन में किश्ती चलाने हेतु किए गये अनुबन्ध की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	0.45
3	7	निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	6.49
4	8	14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग न करना	24.27
5	9	खण्ड विकास अधिकारी के सरकारी आवास के किराए की वसूली न करना	0.10
6	11	महँगाई भत्ते की बकाया राशि के भुगतान से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	2.60

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

पंचायत समिति लम्बागाँव, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.05.18 से 21.05.18 तक पंचायत समिति लम्बागाँव कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	03/2016	09/2015
2016-17	05/2016	04/2016
2017-18	02/2018	01/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में

अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

पंचायत समिति लम्बागाँव, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹9000 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि० प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147 दिनांक 21.05.18 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत समिति द्वारा ड्राफ्ट संख्या 809234 (KCCB) दिनांक 22.05.18 ₹9000 निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि० प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया ।

4 वित्तीय स्थिति :-

पंचायत समिति लम्बागाँव, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत एवं अनुदान :- पंचायत समिति लम्बागाँव, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की स्व स्त्रौतों एवं अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	स्व-स्त्रौत	अनुदान	ब्याज	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	8960339	124550	26497288	325437	35907614	20232144	15675470
2016-17	15675470	43500	9004126	513420	25236516	21815928	3420588
2017-18	3420588	5500	14319710	232381	17978179	9625133	8353046

बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वही में अन्तिम शेष : ₹8353046

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹10700639

अन्तर : ₹2347593

बैंक खाता संख्या	राशि (₹)
KCCB- 20019023359	9792552.00
UCO- 10680100003134	908087.00
कुल राशि	**10700639.00**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹23.48 लाख का भारी अन्तरः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(10) के अनुसार पंचायत समिति रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत समिति की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹ 2347593/- का भारी अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है । जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 146 दिनांक 21.05.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 2555 दिनांक 21.05.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर की राशि की जांच करने के पश्चात वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जायेगा । अतः अतिशीघ्र अन्तर का मिलान किया जाए एवं भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.2 नियमों के अनुसार खाता क (स्व स्त्रौत) एवं खाता ख (अनुदान) न खोलना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 , 21 एवं 22 के अनुसार पंचायत समिति में आय -व्यय के रख-रखाब हेतु खाता-क (स्व स्त्रौत) एवं खाता- ख (अनुदान) का प्रावधान रखा गया है । लेकिन जांच में पाया कि पंचायत समिति लम्बागाँव में स्व-स्त्रौत एवं अनुदान के रख-रखाव हेतु एक ही खाता खोला गया था , जो कि उक्त नियमों के अनुसार अनियमित है । अतः नियमों के अनुसार स्व-स्त्रौत एवं अनुदान हेतु पृथक-2 खाता "क" एवं खाता "ख" खोला जाना सुनिश्चित करें।

4.3 जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में बैंक द्वारा खाता संख्या KCCB-20019023359 में दिनांक 31.08. 2015 एवं दिनांक 30.11.17 को क्रमशः ₹169640 तथा ₹115322 ब्याज के रूप में जमा की गई थी लेकिन इसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं भविष्य में समस्त लेन -देन का लेखांकन रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें

ताकि रोकड़ बही के अन्त शेष एवं बैंक के शेष का आपस में मिलान किया जा सके ।

5 **बजट का नियमानुसार तैयार न करनाः–**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 38 से 43 के अनुसार पंचायत समिति में प्रत्येक वर्ष विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट तैयार करना अनिवार्य है । जांच में पाया कि पंचायत समिति लम्बागाँव द्वारा नियमानुसार बजट तैयार नहीं किया गया था बजट की निम्न तालिका के अवलोकन में पाया गया कि बजट एवं वास्तविक व्यय में कोई तालमेल नहीं था एवं ऐसा प्रतीत होता है कि बजट वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया था । अतः बजट वास्तविक तथ्यों एवं उक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करें । बजट का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-2** में भी दिया गया है :-

वर्ष	**बजट प्रावधान**	**वास्तविक व्यय**	**बचत/अधिक व्यय**
2015-16	23477200	20232144	3245056
2016-17	45986000	21815928	24170072
2017-18	7563500	9625133	(-) 2061633

6 **ब्यास पतन में किश्ती चलाने हेतु किए गये अनुबन्ध की बकाया राशि ₹0.45 लाख की वसूली न करना :-**

(i) पंचायत समिति लम्बागाँव द्वारा ब्यास पतन में किश्ती (Ferry no.1) चलाने हेतु दिनांक 29.03.16 को अधिकतम बोली के आधार पर श्री भवन कुमार सपुत्र श्री परस राम को अवधि 01.04.16 से 31.03.19 के लिये ₹161000 में आबंटित/ नीलामी की गई थी । अनुबंध की शर्त संख्या 5 के अनुसार कुल बौली की राशि का 75% तुरन्त जमा करनी थी एवं शेष राशि एक वर्ष के भीतर चार बराबर किश्तों में जमा करना था । जांच में पाया कि ठेकेदार श्री भवन कुमार ने 75% राशि ₹121000 रसीद संख्या 069 दिनांक 29.03.16 एवं रसीद संख्या 070 दिनांक 04.05.16 द्वारा जमा कर दी थी लेकिन शेष राशि ₹40000 अंकेक्षण के समाप्ति तक पंचायत समिति के खाते में जमा नहीं की गई थी ।

(ii) पंचायत समिति लम्बागाँव द्वारा व्यास पतन में किश्ती (Ferry no.2) चलाने हेतु दिनांक 23.02.16 को अधिकतम बौली के आधार पर श्री आनंद कुमार सपुत्र श्री प्रेम चन्द को अवधि 01.04.16 से 31.03.19 के लिये ₹23000 में आबंटित /

नीलामी की गई थी । अनुबंध की शर्त संख्या 5 के अनुसार कुल बौली की राशि का 75% तुरन्त जमा करनी थी एवं शेष राशि एक वर्ष के भीतर चार बराबर किश्तों में जमा करना प्रस्तावित था । जांच में पाया कि ठेकेदार श्री भवन कुमार ने 75% ₹18250 रसीद संख्या 067 दिनांक 08.03.16 द्वारा जमा कर दी थी लेकिन शेष राशि ₹4750 अंकेक्षण के समाप्ति तक पंचायत समिति के खाते में जमा नहीं की गई थी ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 146 दिनांक 21.05.18 द्वारा उक्त शेष ₹44750 की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था , जिसके सन्दर्भ में पंचायत समिति ने पत्र संख्या 2555 दिनांक 21.05.18 द्वारा सूचित किया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये हैं । अतः अतिशीघ्र उक्त शेष राशि की वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि उक्त पतन को ठेके में देने से पूर्व आरक्षित सीमत (Reserne price) निर्धारित नहीं की गई थी एवं न ही बौलीदाताओं से धरोहर राशि प्राप्त की गई थी । अतः भविष्य में पतन के ठेके पर देने से पूर्व आरक्षित कीमत निर्धारित की जाए एवं धरोहर राशि भी जमा की जाए।

7 ₹6.49 लाख के निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिये गये अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गये हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया कि चयनित माह में निम्नलिखित अनुदान पंचायत समिति द्वारा विकास खण्ड लम्बागाँव की विभिन्न पंचायतों को जारी किए गये थे लेकिन इन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गये थे । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 146 दिनांक 21.05.18 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 2555 दिनांक 21.05.18 द्वारा कुछ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये गए लेकिन निम्नविवरणानुसार निर्माण ₹648500 के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए , जिन्हें अतिशीघ्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किए जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	पंचायत/ विभाग का नाम	चैक संख्या	राशि (₹)
1	नि. जल संग्रहण टैंक खरजाड़	XEN, I&PH, Palampur Division	785376 /04.09.15	100000/-
2	नि. सैनिक सामुदायिक भवन अप्पर स्टोरी	ग्राम पंचायत जैसिंहपुर	785388 /21.09.15	150000/-
3	नि. पंचायत घर जैसिंहपुर	ग्राम पंचायत जैसिंहपुर	785398 /23.09.15	99000/-
4	नि. खेल मैदान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, लाहड़ू	ग्राम पंचायत लाहड़ू	785714 /21.04.16	14400/-
5	नि. जंज घर, डोल	ग्राम पंचायत डोल	RTGS, IFSC Code-50056516176	18200/-
6	पंचायत घर में 100 कुर्सियों के क्रय हेतु	ग्राम पंचायत अप्पर ठेरु	Transfer to account No.44506 (HGB Kosari)	37500/-
7	नि. जीप योग्य सड़क निचले ठेरु से मेन सड़क	ग्राम पंचायत लाहड़ू	-	59400/-
8	नि. जीप योग्य सड़क गाँव हार छतर	ग्राम पंचायत अप्पर ठेरु	-	9000/-
9	नि. रास्ता सीता देवी के घर से परसोतम चन्द के घर तक	ग्राम पंचायत दरमान	-	34500/-
10	नि. जीप योग्य सड़क मेन रास्ते से तारा चन्द के घर तक	ग्राम पंचायत कोसरी	-	18000/-
11	नि. वर्षाश्रालय नजदीक शमशान घाट	ग्राम पंचायत भगेतर	785716 /21.04.16	74200/-
12	नि. वर्षाश्रालय नजदीक शमशान घाट	ग्राम पंचायत आशापूरी	-	34300/-
			कुल राशि	**648500/-**

8 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान ₹24.27 लाख का उपयोग न करनाः–

अंकेक्षण अवधि में पंचायत समिति लम्बागाँव में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास खण्ड लम्बागाँव की विभिन्न पंचायतों में निर्माण कार्यों हेतु ₹2427000 के अनुदान की राशि प्राप्त की थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-3** में दिया गया है । जांच में पाया कि परिशिष्ट में दिये निर्माण कार्यों का निष्पादन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी नहीं किया गया था एवं न ही पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही अमल मे लाई गई, जिस कारण से एक तो पंचायत के लोगों को निर्माण कार्यों से प्राप्त सुविधाओं से वंचित होना पड़ा एवं 14वें वित्त आयोग में निर्धारित उदेश्यों की भी पूर्ति न हो सकी । अतः 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि ₹2427000 के अवरोधन बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अतिशीघ्र इन निर्माण कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें ।

9 खण्ड विकास अधिकारी के सरकारी आवास का किराया ₹0.10 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144 दिनांक 18.05.18 द्वारा पंचायत समिति लम्बागाँव के आय के स्त्रौत की जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 2554 दिनांक 21.05.18 द्वारा आय के स्त्रोत में खण्ड विकास अधिकारी के आवास का किराया भी दर्शाया गया था । जांच में पाया कि खण्ड विकास अधिकारी के आवास का किराया माह 11/2016 से ₹500 प्रतिमाह वसूला जा रहा था लेकिन अंकेक्षण अवधि 04/2015 से 10/2016 तक 19 माह का किराया ₹9500 (19x500) नहीं वसूला गया था , जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹9500 की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

10 स्थापना जांच रजिस्टर (वेतन रजिस्टर) तैयार न करना :-

चयनित माह 09/2015 एवं 04/2016 में पंचायत सचिवों को भुगतान किए गए वेतन की जांच में पाया कि पंचायत समिति लम्बागाँव में वेतन के भुगतान के रख-रखाब हेतु स्थापना जांच रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 146 दिनांक 21.05.18 द्वारा पंचायत समिति लम्बागाँव को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 2555 दिनांक

21.05.18 द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्थापना जांच रजिस्टर माह 10/2017 से तैयार किया गया था। अतः माह 10/2017 से पूर्व का स्थापना जांच रजिस्टर भी तैयार करके वेतन की प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

11 महँगाई भत्ते की बकाया राशि ₹2.60 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:–

चयनित माह 01/2018 में व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 175 में पंचायत सचिवों को अवधि 9/15 से 4/17 तक महँगाई भत्ते, वेतन एवं संशोधित ग्रेड-पे की बकाया राशि के रूप में ₹259976 का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय की जांच में निम्नलिखित अनियमिततायेँ पाई गई :-

1. वेतन रजिस्टर के रख–रखाव की अनुपस्थिति में वेतन के भुगतान की गई राशि, भुगतान योग्य राशि एवं बकाया राशि की सही स्थिति का पता नहीं चल सका ।

2. बकाया के रूप में जिन-2 महँगाई भत्ते की किशतों का भुगतान किया गया था, उन्हें बकाया बिल में स्पष्ट नहीं किया गया था, जिससे बकाया राशि की सही गणना नहीं की जा सकी। अतः इन्हें अब स्पष्ट करना सुनिश्चित करें ।

अतः महँगाई भत्ते की बकाया राशि की सही गणना करके एवं वेतन रजिस्टर का रख रखाव सहित वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही बकाया बिल तैयार करना सुनिश्चित करें ।

12 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। परन्तु जांच में पाया कि पंचायत समिति में वर्ष 2015-16 से 2017-18 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें ।

13 व्यय बिलों पर वाउचर संख्या अंकित न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15.1 एवं 47 के अनुसार पंचायत समिति के प्रत्येक व्यय बिल वाउचर पर संख्या अंकित होना आवश्यक था । जबकि जांच में पाया कि पंचायत समिति लम्बागाँव द्वारा व्यय बिल के लिए वाउचर संख्या अंकित नहीं थे । अतः नियमों के अनुसार वाउचर संख्या अंकित न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार वाउचर संख्या अंकित करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

14 पंचायत समिति की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार सावधि जमा में **निवेश न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु पंचायत समिति द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति के पास प्रतिवर्ष निधियों में समुचित राशि उपलब्ध थी । अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर द्वारा
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
4. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना ।

16 भण्डार रजिस्टर का उचित रख रखाव न करना:–

भण्डार रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि खरीदी गई स्थायी एवं अस्थाई (Consumable and non-consumable) प्रकृति की सामग्री का अलग-अलग भण्डार रजिस्टर नहीं लगाया है , जबकि नियमानुसार स्थायी एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर अलग-अलग तैयार करना अनिवार्य है । उदाहरण के रूप में स्टील अलमारी, हीटर, फिल्टर एवं इंटरनेट डोंगल इत्यादि की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 167 में कर दी गई थी जो कि अनियमित था । अतः तुरन्त प्रभाव से स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर तैयार किए जायें एवं संबन्धित रजिस्टरों में प्रत्येक अलग प्रकृति की मद के लिये अलग पृष्ठ आबंटित किए जायें व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

17 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

18 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15) (2)196/2018 खण्ड–1–5987–5989 दिनांक–11.09.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881